न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 56/08 (158/08) (150/07) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. किंगरिया पुत्र जगदेव जाति मेव निवासी ग्राम दोंगडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:––– अपीलांट

बनाम

1 धन्नी बेवाह पूर्ण
2 टुट्टीराम पुत्र पूर्ण
3 कैलाश पुत्र पूर्ण
4 ओमप्रकाश पुत्र पूर्ण
5 बाबुलाल पुत्र पूर्ण
6 ननको पुत्री पूर्ण
7 रूपा पुत्री पूर्ण
8 कल्लो पुत्री पूर्ण
9 अंगूरी पुत्री पूर्ण
10 मंगल पुत्र चिम्मन जाति भंगी (मेहतर) निवासीयान दोंगडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:––– प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 15.9.2004

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दिनेश सिंह यादव

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री परमानन्द मेहरा

निर्णय दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा राजस्व वाद संख्या 82/2003 में पारित निर्णय दिनांक 15.9.2004 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत इश्तकरारहक मय हुकमइम्तनाई दवामी खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 805 रकबा 15 बिस्वा के साथ लगती हुई वादी की आराजी खसरा नम्बर 804 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम दोगडा तहसील किशनगढबास स्थित है । वादी ने करीब 20 साल से उक्त दोनों खसरा नम्बरान 804 व 805 को एक मिलाकर एक खेत किया हुआ है । वादी इस आराजी का खातेदार काश्तकार है । प्रतिवादीगण का इस आराजी खसरा नम्बर 805 रकबा 15 बिस्वा से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादीगण उक्त आराजी से वादी को जबरन बेदखल करने पर उतारू है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2055 में वादी उक्त आराजी पर उपकृषक खातेदार दर्ज है । यह अंकन 14 साल से चला आ रहा है । इसलिये वादी स्वतः ही खातेदार हो गया । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने उक्त वाद अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह बात सिद्ध है कि विवादित भूमित का स्वामित्व अनुसूचित जाति के सदस्य या प्रतिवादीगण रेस्पो0 का कभी नहीं रहा है । राजस्व रेकार्ड में हमारे नाम उपकृषक का अंकन 14 से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है । इसलिये कानूनन हमको खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं । हमने हमारे दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है, परन्तु फिर भी गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया गया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि विवादित आराजी से वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है । हम इस आराजी के पटटेदार गैर खातेदार काश्तकार है । मौके पर दोनों खेत अलग अलग है । हमारा खेत नम्बर 805 है तथा वादी का खसरा नम्बर 804 है । वादी का खसरा नम्बर 805 से कोई लेना देना नहीं है । वादी का इस आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है । विवादित आराजी खसरा नम्बर 805 रकबा 15 बिस्वा जुम्मा पुत्र जीवणा को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

पटटे पर मिली थी । जुम्मा फौत हो चुका है । जिसकी विरासत का इन्तकाल नम्बर 1119 हम प्रतिवादीगण रेस्पो0 के नाम स्वीकार हुआ है । हम प्रतिवादीगण रेस्पो0 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । कानूनन अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि गैर अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम अंकित नहीं हो सकती । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । जमाबन्दी सम्वत 2055–58 एग्जिविट पी– 1 में विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण को पटटेदार गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है तथा किंगरिया मेव को उपकृषक साल 11 दर्ज किया हुआ है । भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पास बुक एवं जमाबन्दी सम्वत 2029 में प्रतिवादीगण गैर खातेदार पटटेदार दर्ज है ।

6 पैरा नम्बर 05 में वर्णित दस्तावेजी साक्ष्य से यह भलीभांति सिद्ध है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 805 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम दोगडा तहसील किशनगढबास के प्रतिवादीगण पटटेदार गैर खातेदार हैं । हालांकि जमाबन्दी सम्वत 2055–58 में वादी अपीलांट किंगरिया को 11 साल का उपकृषक दर्ज किया हुआ है । परन्तु इस इन्द्राज से किंगरिया को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि यह एक सुस्थापित विधि है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि किसी भी प्रकार से सवर्ण व्यक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती ।

7 उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विद्वान तहत न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में जो तनकीवार विवेचन किया है, वो विधिसम्मत है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.9.2004 यथावत रखे जाते हैं ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 56/08 (158/08) (150/07) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. किंगरिया पुत्र जगदेव जाति मेव निवासी ग्राम दोंगडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:––– अपीलांट

बनाम

1 धन्नी बेवाह पूर्ण वगैरा
जाति भंगी (मेहतर) निवासीयान दोंगडा तहसील
किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:––– प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,
किशनगढबास दिनांक 15.9.2004

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दिनेश सिंह यादव

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री परमानन्द मेहरा

पर्चा डिक्री	दिनांक
-----	----------

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.9.2004 यथावत रखे जाते हैं ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner